



2026:AHC:124616

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अन्तर्गत आवेदन संख्या - 17785 सन् 2026

सद्दाम हुसैन एवं 9 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : इंद्र मोहन सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, निशांत द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत आवेदन धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदकगण द्वारा आरोप पत्र दिनांक 28.08.2025, समन आदेश दिनांक 07.02.2026 तथा आपराधिक वाद संख्या 89/2026 (राज्य बनाम शहनवाज एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 289/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 326(ई), 351(3), 352, 329(3) के अंतर्गत, थाना - जलेसर, जनपद - एटा से उद्भूत है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर, एटा के न्यायालय में लंबित है।
3. निवेदन यह है कि समस्त आवेदकगण को दुर्भावनापूर्वक आपराधिक अभियोजन में घसीटा गया है तथा उनकी कृषि भूमि उक्त स्थल पर स्थित है, और विवाद राजस्व प्रकृति का होने के कारण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही स्थल पर की जा चुकी है, आवेदकगण के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकृति का मामला नहीं बनता है तथा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस ने गलत तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने विवेचना के अभिलेख को देखे बिना गलत तरीके से मामले में संज्ञान ले लिया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विवेचना के दौरान लेखपाल का कथन अंकित किया गया था, जिन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन किया।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत दिनांक 11.06.2025 को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में आदेश पारित किया गया था तथा सीमा चिन्ह भी स्थापित किए गए थे, तथापि, अगले ही दिन, आवेदकगण ने बलपूर्वक उन्हें ध्वस्त कर दिया और आपत्ति किए जाने पर, उन्होंने शारीरिक हमला किया। यह भी निवेदन किया गया है कि विपक्षी संख्या 2-शिकायतकर्ता एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है तथा आवेदकगण के दुस्साहस का शिकार है।

6. प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, मैं यह पाता हूँ कि लेखपाल, जो स्वयं एक राजस्व प्राधिकारी हैं तथा संहिता की धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाही में सहायक रहे हैं, ने दिनांक 11.06.2025 को स्थल पर की गई सीमांकन कार्रवाई का समर्थन किया था तथा इस तथ्य का भी कि तुरंत पश्चात अगले दिन, आवेदकगण ने सीमा चिन्हों को ध्वस्त कर दिया तथा विपक्षी संख्या 2 की भूमि को अपनी स्वयं की भूमि में सम्मिलित करने का प्रयास किया।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह इंगित हो कि विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के विरुद्ध प्राथमिकी क्यों दर्ज कराएगा तथा यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि की गई सीमांकन कार्रवाई तथा स्थल स्थिति में परिवर्तन के कारण पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ और, अतः प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

8. अभियोगों की प्रकृति पर विचार करते हुए, संज्ञेय अपराध बनता है तथा कार्यवाही के अभिलेख के आधार पर, आरोप पत्र प्रस्तुत करने में विवेचक की ओर से कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती।

9. कुछ तर्कों के पश्चात, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशानुसार न्यायपीठ के समक्ष यह कथन दिया है कि वे प्रस्तुत आवेदन में की गई अन्य प्रार्थनाओं पर बल नहीं देना चाहते

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा कथन करते हैं कि आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत चाहने हेतु तैयार हैं तथा उनकी रिहाई पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम केन्द्रीय जाँच ब्यूरो एवं एक अन्य : (2022) 10 एससीसी 51** के मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में विचार किया जाए।

10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में की गई अन्य प्रार्थनाओं पर बल न देने संबंधी उक्त प्रार्थना पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यदि आवेदकगण आज से 45 दिनों के भीतर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत चाहते हैं, तो उनकी रिहाई पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अन्तिल (उपर्युक्त)** के मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में विचार किया जाए।

12. आज से **45 दिनों** की अवधि तक, उक्त मामले में आवेदकगण के विरुद्ध कोई बलात् कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत यह आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

2 जून 2026

सजिया

(माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।